न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली)

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–18/2019
आरसीएमएस– 2019/00083
तारीख निर्णय– 14/09/2020

प्रार्थी :–

1. मुकेश गोद पुत्र गेनाराम जाति–सिरवी(चौधरी) निवासी–देसूरी, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136राज0भू–राजस्व अधि0 1956:–

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– वकील दिलीप व्यास।
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: निर्णय :– दिनांक– 14/09/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गॉव–देसूरी, पटवार हल्का–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली में खातेदारी की आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्ब–1210,1211,1212,1214,1216,1217,1218, 1219,1220,1221,1222,1223 कुल 12 कुल क्षेत्रफल 8.8200 हैक्टर, कुल लगान रूपया 256.97 विद्यमान है।

उक्त आराजियात में चूनिया, भीका, गेना, नगिया पि0 प्रभु की खातेदारी का 1/4 हिस्सा विद्यमान था। इस प्रकार उक्त आराजियात में प्रार्थी के दत्तक पिता गेना पुत्र प्रभुजी की खातेदारी का हिस्सा विद्यमान है। प्रार्थी के दत्तक पिता उक्त गेना पुत्र प्रभुजी इनकी पत्नी श्रीमति जमनी देवी पत्नि गेनाराम द्वारा मुझ प्रार्थी मुकेश जायदां पिता शेषारामजी को अपने जीवनकाल में गोद लिया हुआ है। गोदनामा प्रार्थी के जायंदा माता पिता एंव दत्तक माता पिता द्वारा दिनांक 18.07.2011 को निष्पादित किया जाकर पंजीयन सुदा है। जो उप–पजीयन कार्यालय, देसूरी में दिनांक 18.07.20[illegible] क्रमाक संख्या

पेज लगातार 02 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

2011000012 पर रजिस्टर्ड सुदा है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त गेनाराम पुत्र प्रभुजी का गोद पुत्र है। गेनाराम एवं इनकी पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है। एवं मृत गेनाराम का दत्तक पुत्र प्रार्थी वारिस उत्तराधिकारी है। ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में जारी किये वारिसान प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति साथ सलंग्न है।

यह है कि उक्त पैरा एक में वर्णित आराजियात में प्रार्थी के दत्तक पिता **गेना पुत्र प्रभु** की खातेदारी का हिस्सा विद्यमान है, जो इसके राजस्व अभिलेख मिसल बन्दोवस्त खतौनी सम्वत् 2041 से 2060 की प्रमाणित प्रतिलिपी से स्पष्ट है किन्तु उक्त मिसल बन्दोवस्त खतौनी के आधार पर बनी जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 की जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारीयो की इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटी एवं गलती मात्र से प्रार्थी के पिता का नाम **गेना पुत्र प्रभु** की बजाय बिना किसी आधार के **खेता पुत्र प्रभु** दर्ज हो गया यानि प्रार्थी के पिता

का नाम **गेना** की बजाय **खेता** राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राज की लिपिकिय त्रुटि एवं भूल से दर्ज हो गया है। जिसे हस्ब धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत सुधारा जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 मय दस्तावेजी साक्ष्य एवं मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त रूपेण इन्द्राज संबंधित लिपिकीय भूल एवं त्रुटि को सुधार जाने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार, देसूरी को आदेश प्रदान करावे कि मौजा सरहद गॉव–देसूरी, पटवार हल्का–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली में खातेदारी की आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्ब–1210 1211 1212 1214 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 कुल 12 कुल क्षेत्रफल 8.8200 हैक्टर, कुल लगान रूपया 256.97 के राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम **खेताराम** के स्थान पर सही नाम **गेनाराम** दर्ज किया जावे यानि **खेताराम पुत्र प्रभुराम** के स्थान पर **गेनाराम पुत्र प्रभुराम** जरिये शुद्धिकरण नामान्तरकरण के दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती सुधार किया जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी की ओर से जवाब पेश किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में लिपिकीय त्रुटी एवं गलती मात्र से प्रार्थी के पिता का नाम **गेना पुत्र प्रभु** की बजाय बिना किसी आधार के **खेता पुत्र प्रभु** दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थी के दत्तक पिता गेनाराम होने संबंधित पत्रावली में सत्यप्रतिलिपी सलंग्न नही से प्रार्थी स्वंय स्वीकार करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

शेष लगातार 03 पर ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते शुद्धि बाबत है जो सही है।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मिसल बन्दोवस्त खतौनी सम्वत् 2041 से 2060 की प्रमाणित प्रतिलिपी से स्पष्ट है कि चुनिया, भीका, गेना, नगिया पि0 प्रभु की खातेदारी का 1/4 हिस्सा विद्यमान है। परन्तु उक्त बन्दोवस्त खतौनी के आधार पर बनी जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 में चुनिया, भीका, खेता, नगिया पि0 प्रभु दर्ज हुआ जो कि लिपिकीय त्रुटि से **गेना पुत्र प्रभु** की बजाय बिना किसी आधार के **खेता पुत्र प्रभु** दर्ज हुआ। जो कि वर्तमान जमाबन्दी में भी चला आ रहा है।

प्रार्थी के दत्तक पिता उक्त गेना पुत्र प्रभुजी इनकी पत्नी श्रीमति जमनी देवी पत्नि गेनाराम द्वारा प्रार्थी मुकेश जायदां पिता शेषारामजी को अपने जीवनकाल में गोद लिया हुआ है। गोदनामा प्रार्थी के जायंदा माता पिता एंव दत्तक माता पिता द्वारा दिनांक 18.07.2011 को निष्पादित किया जाकर पंजीयन सुदा है। जो उप-पजीयन कार्यालय, देसूरी में दिनांक 18.07.2011 को दस्तावेज क्रमाक संख्या 2011000012 पर रजिस्टर्ड सुदा है। जिसकी प्रति पत्रावली में सलग्न है और जिसका मिलान मूल दस्ताबेज से किया गया। जिससे यह सिद्ध होता कि प्रार्थी उक्त गेनाराम पुत्र प्रभुजी का गोद पुत्र है। गेनाराम एवं इनकी पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति सलग्न हैं। मृत गेनाराम का दत्तक पुत्र प्रार्थी वारिस उत्तराधिकारी है। ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में जारी किये वारिसान प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति पत्रावली में साथ सलंग्न है।

अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण से न्यायालय की राय मे पुराने रिकार्ड से नया रिकार्ड तैयार करते समय कर्मचारियो/ अधिकारियो की इन्द्राज संबंधित लिपिकीय त्रुटी एवं भूल व गलति से " **गेनाराम पुत्र प्रभुराम** " की बजाय " **खेताराम पुत्र प्रभुराम** " यानि " **गेनाराम** " के स्थान पार " **खेताराम**" अंकित हो गया है अतः धारा- 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत उक्त इन्द्राज संबंधित त्रुटी एवं गलति को दुरूस्त संशोधित किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।

-: आदेश :-

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्रहस्ब धारा- 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु आदेश दिया जाता है कि- मौजा सरहद

...शेष पेज लगातार 04 पर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

गॉव–देसूरी, पटवार हल्का–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली में खातेदारी की आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्ब–1210 1211 1212 1214 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 कुल 12 कुल क्षेत्रफल 8.8200 हैक्टर, कुल लगान रूपया 256.97 की कृषि भूमि कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज खातेदार का नाम " **खेताराम**" के स्थान पर दुरूस्ती कर " **गेनाराम** " अंकन किया जावे यानि " **खेताराम पुत्र प्रभुराम** " के स्थान पर " **गेनाराम पुत्र प्रभुराम** "दर्ज किया जावे। तहसीलदार, देसूरी को माफीक आदेश दुरूस्ती कर पालना रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतू अलग से तहरीर जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.15 19:38:55 IST
Reason: SelfAttested